तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27-11-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उप० प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी एवं बहस समाप्त पत्रावली की गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं तहसीलदार लाखेरी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 14-6-2013 के प्रावधान RTA 251(ग) राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र दिनांक 30.09.2024 के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 96 / 2022 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 19.12.2022 श्रीमती भावना सिंह(**RAS**)

बउनवान

1. प्रहलाद आ0 जगराम जाति मीणा निवासी बडाखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. कन्या बाई पुत्री जगराम जाति मीणा निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–प्रार्थिगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. श्री दिनेश शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थिगण
2. सरकार पेरोकार – अपार्थी

निर्णय

दिनांकः– 27.11.2024

प्रार्थिगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी कृषिभूमि खाता संख्या 689 खसरा संख्या 1597 रकबा 4.50है0 वाके ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है उक्त भूमि की प्रार्थिगण रिकॉर्ड खातेदार कृषक है वास्ते प्रमाण नकल जमाबंदी संलग्न है। प्रार्थिगण की कृषि भूमि में आने जाने का रास्ता गडार बडाखेडा से बडाखेडा के माल तक जाती है उक्त गडार संख्या 1628 व 1596 की मेर तक है उसके बाद खसरा संख्या 1596 की उत्तरी मेर के सहारे–सहारे प्रार्थिगण की कृषिभूमि तक है उक्त रास्ता ही प्रार्थिगण के खेत तक आने जाने का एक मात्र रास्ता है उक्त खसरा संख्या 1596 सिवायचक है जिस पर अतिक्रमण कर लोगों ने प्रार्थी के रास्ते को बन्द कर दिया है। प्रार्थिगण को अपनी कृषि भूमि में काश्त करने केक लिये समय समय पर ट्रेक्टर व अन्य कृषियंत्र लाने ले जाने होते है परन्तु स्थायी रास्ते के अभाव में

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

... उस पर अतिक्रमियों ने कब्जा कर बाड लगा रखी है और प्रार्थीगण को

प्रार्थिगण को परेशानी है और खसरा संख्या 1596 सिवायचक होने से उस पर अतिक्रमियों ने कब्जा कर बाड लगा रखी है और प्रार्थिगण को अपने कृषि यंत्र लाने ले जाने से रोकते है इसलिए प्रार्थिगण स्थायी रूप से डि0एल0सी0 दर से रास्ता की भूमि की राशि न्यायालय में जमा करवाने को तैयार है जिससे प्रार्थिगण की कृषि भूमि में आने जाने का स्थायी रास्ता हो सके। प्रार्थिगण का भाई हीरा आ0 जगराम नाऔलाद फौत हो चुका है उसके वारिस भी प्रार्थिगण है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा रास्ता की भूमि अतिक्रमण किए जाने से दिनांक 20.10.2022 से वाद कारण निरन्तर उत्पन्न हो रहा है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 1596 रकबा 1.28है0 वाके ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान की उत्तरी मेर के सहारे सहारे 12 फीट चौडा रास्ता दिलाया जावे और रास्ता भूमि की राशि डी0एल0सी0 दर से न्यायालय में जमा कर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। सरकार पेरोकार तहसीलदार इन्द्रगढ़ से रिकॉर्ड एवं मौके की रिपोर्ट ली गई जिसका अवलोकन करने पर मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के ग्राम बडाखेडा के खसरा संख्या 1597 रकबा 4.50है0 प्रहलाद पुत्र जगराम वगै0 कौम मीणा के खातेदारी में दर्ज है उक्त खसरे पर आने–जाने हेतु खातेदार खसरा संख्या 1596 रकबा 1.28है0 सिवायचक में से उपयोग में लेता है। वर्तमान में इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा यह लघुत्तम दूरी का मार्ग है जिसका नजरी नक्शा पृथक से संलग्न है। प्रार्थिगण को अपनी खातेदारी कृषिभूमि खसरा संख्या 1597 वाके ग्राम बडाखेडा पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 1596 की उत्तरी मेर के सहारे–सहारे रास्ता दिया जाना उचित है। अन्त में प्रार्थिगण को कृषिभूमि पर पहुंच हेतु रास्ता दिये जाने की अभिशंषा की गयी।

प्रार्थिगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी प्रार्थिया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दौहराव करते हुए दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थिगण तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट से सहमत है प्रार्थिगण खातेदार को 12 फीट का रास्ता दिया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थिगण अपनी कृषि भूमि पर काश्त करने से वंचित हो जायेगा प्रार्थिगण को जीवन यापन करना मुश्किल हो जायेगा।

हमारे द्वारा प्रार्थिगण अधिवक्ता के अभिवचनों को ध्यान में रखते हुए एवं पत्रावली रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 के अनुसार रास्ता या पहुंच मार्ग एक आवश्यक सुखाधिकार है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानो के अन्तर्गत खातेदार द्वारा अन्य खातेदारों की जोत से पहुंच मार्ग नियमानुसार दिये जाने के प्रावधानों के अनुसार रास्ते का विकल्प नहीं होने की स्थिति में नया पहुंच मार्ग दिया जा सकता है। वर्तमान में प्रार्थिगण की कृषिभूमि खाता संख्या 689 खसरा संख्या 1597 रकबा 4.50है0 वाके ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में जाने हेतु अन्य कोई पहुंच मार्ग का विकल्प नहीं होने का तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से अवगत कराया गया है साथ ही निकटतम दूरी का रास्ते का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिती को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रस्तावित रास्ता 4 मीटर चौडाई में वाके ग्राम बडाखेडा पटवार हल्का बडाखेडा गांव तहसील इन्द्रगढ़ के खसरा संख्या 1596 की उत्तरी मेर के सहारे–सहारे होता हुआ प्रार्थिगण की खातेदारी कृषिभूमि खसरा संख्या 1597 तक मुताबिक नक्शा ट्रेस रहेगा। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जो निर्णय का भाग रहेगा। उक्त प्रस्तावित रास्ते में वाके ग्राम बडाखेडा के खसरा संख्या 1596 में से रकबा 0.0688है0 भूमि जो खातेदार राजकीय सिवायचक दर्ज है, की आवश्यकता होगी। रास्ते में आने वाली भूमियों के रकबे का डी0एल0सी0 दर से दुगना प्रतिकर राशि राजकोष में जमा करने पर रास्ता 4मीटर की चौडाई में मुताबिक नक्शा ट्रेस बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तावित रास्ते में आने वाली उक्त सिवायचक भूमि के प्रभावित रकबे की वर्तमान डी0एल0सी0 दर से दुगनी प्रतिकर राशि की गणना मय राजस्व लेखाकार रिपोर्ट करवाकर गणन अनुसार प्रतिकर राशि राजकोष में प्रार्थिगण द्वारा जर्ये डी0डी0 जमा करवाने पर रास्ता बहाल किया जावे एवं रास्ते के उपयोग में ली गई कृषि भूमि का रकबा मूल खसरों से कम करते हुए रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि का राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में पृथक से नियमतः अभिलिखित की जावे उक्त भूमि का उपयोग सार्वजनिक होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27–11–2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

लाखेरी(बून्दी)